

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 मई 2011—वैशाख 20, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

क्र. ए-3-20-2011-1-पांच, (48).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामियों के वर्ग को, उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

#### सारणी

स्वामियों का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)
अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामी	अंशतः इस प्रकार की अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (तीन) के अधीन कर की दर घटकर 10 प्रतिशत हो जाए.	यह छूट केवल इन्दौर में 13 और 15 मई, 2011 को आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट मैचों के संबंध में उपलब्ध होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2011

क्र. एफ ए-3-20-2011-1-पांच, (48).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-20-2011-1-पांच, (48), दिनांक 10 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th May 2011

No. A-3-20-2011-1-V (48).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011) (hereinafter referred to as the Act), the State Government, hereby, exempts the class of proprietors specified in column (1) of the Table below from payment of tax under the Act to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

Class of Proprietors (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Proprietor registered under the Act.	Partly so as to reduce the rate of tax to 10 percent under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of Section 6 of the Act.	The exemption shall only be available in respect of the Indian Premier League Cricket Matches being organised on 13th and 15th of May, 2011 at Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl.Secy.